

05.1.21

पलावली केस हुआ अभिभाषक अपीलॉट व अपीलॉट  
 उपस्थित नहीं। अभिभाषक श्रीजी. एम. ललवावल,  
 ११ अगस्त १९६३ प्राथमिक अदालत और राज्य  
 निपटारा न्यायाधीश, उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलॉट  
 को पूरे में भी दिनांक २३.११.२० को व दिनांक २५.११.२०  
 को उपस्थित नहीं होने पर भी ग्यापटेल में बयान लेने  
 हुए अवसर परिये जैसे हैं। अभिभाषक अपीलॉट व  
 अपीलॉट को कई बार रुक-रुक कर आवाज  
 दिलाते गये, किंतु उपस्थित नहीं हुए।  
 उक्त अपील अपीलॉट अदम हाजरी एवं  
 डायरी केरवी में खारिज की जाती है। पलावली  
 फौजदारी नुमांदा होकर नुमांदा ले रज हो आदेश  
 हुले ग्यापालप में हुनापा गया।

राजस्थान न्यायालय प्राधिकारी  
अजमेर